Small Industries Development Bank of India (SIDBI) Kishangarh, Branch Office

Request for Proposal (RfP)
For
Selection of Security Agency

RfPNo.: SIDBI/KSG/T327233114 dated 13/04/2021

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA G 20-21, Ground Floor, Ganpati Square, NH-8, Marble Industrial Area, Jaipur Expressway, Madanganj Kishangarh, Ajmer, Rajasthan - 305801



किशनगढ़ कार्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था हेतु रुचि की अभिव्यक्ति

1. किशनगढ़ कार्यालय परिसर के लिए चौबीसों घंटे शस्त्ररहित सुरक्षा-व्यवस्था प्रदान करने के लिए इच्छुक प्रतिष्ठित सुरक्षा एजेंसियों से सीलबंद कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। पूर्व-अर्हता मापदंड तथा निबंधन व शर्तें क्रमशः अनुबंध I व अनुबंध I के परिशिष्ट में दी गई हैं। ये अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भी उपलब्ध हैं, और 15 अप्रैल, 2021 से 30 अप्रैल 2021 के मध्य सभी कार्य-दिवसों (शनिवार-रिववार को छोड़कर) पर 11.00 बजे से 12.00 बजे के बीच देखे जा सकते हैं।

(तकनीकी निविदा) सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाए, जिसमें एजेंसी के संघटन, सुरक्षा व्यवस्था संभालने का अनुभव, वार्षिक विक्रय पण्यावर्त आदि उल्लिखित हो और दस्तावेज़ी प्रमाण संलग्न हों। इसका प्रारूप अनुबंध II में दिया गया है।

प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन "सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जी 20-21, भूतल, गणपती स्कवेर, एन.एच.-8, मार्बल इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर एक्स्प्रेसवे, मदनगंज किशनगढ़, अजमेर, राजस्थान - 305801" को संबोधित होनी चाहिए और उनके लिफाफे पर "सिडबी किशनगढ़ में सुरक्षा कार्यों हेतु रुचि की अभिव्यक्ति" अंकित होना चाहिए। बोलियाँ 30 अप्रैल, 2021 को अधिकतम 1700 बजे तक उनके पास पहुँच जानी चाहिए। जो बोलियाँ विनिर्दिष्ट तरीके से प्रस्तुत नहीं की जाएँगी वे स्वीकार नहीं होंगी। तकनीकी निविदा के लिफाफे 05 मई, 2021 को 1100 बजे खोले जाएंगे और इच्छुक पार्टियाँ इस समय उपस्थित रह सकती हैं। बैंक को यह अधिकार है कि वह बिना कोई कारण बताए किसी एक या सभी आवेदनों को अस्वीकार कर दे। चयनित तथा पूर्व अर्हता मानदंडों को पूर्ण करने वाली एजेंसियों से वित्तीय बोलियां बाद में मंगाई जाएंगी।

सहायक महाप्रबन्धक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जी 20-21, भूतल, गणपती स्कवेर, एन.एच.-8, मार्बल इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर एक्स्प्रेसवे, मदनगंज किशनगढ़, अजमेर, राजस्थान - 305801

पूर्व-अर्हता मापदंड

- ग. एजेंसी को प्रतिष्ठित संगठनों जैसे अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/ उपक्रमों, बहुराष्ट्रीय निगमों तथा निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों को सुरक्षा सेवा प्रदान करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए (कार्य-आदेशों अथवा सूचीबद्धता पत्र की प्रति संलग्न करें)।
- एजेंसी, यथास्थिति राज्य/ केन्द्र सरकार के श्रम एवं वस्तु एवं सेवा कर विभाग में पंजीकृत होनी चाहिए (यदि लागू हो) (पंजीकरण की प्रति संलग्न करें)।
- 3. एजेंसी को आयकर निर्धारिती होना चाहिए, जिसने मूल्यांकन वर्ष 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के लिए आय-कर विवरणियाँ जमा कराई हों (पैन की प्रति तथा मूल्यांकन वर्ष 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के लिए प्रस्तुत आय-कर विवरणी की प्रति संलग्न करें)। यदि एजेंसी आयकर विभाग से छूट प्राप्त हो तो छूट-प्रदायगी प्रमाणपत्र संलग्न किया जाए।
- स्रक्षा एजेंसी को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत होना चाहिए ।
- 5. एजेंसी का कार्यालय राजस्थान में स्थित होना चाहिए।
- 6. इस व्यवस्था की अन्य निबंधन व शर्तें संलग्नक में दी गई हैं।
- 7. सरकारी एजेंसी से इतर एजेंसी को "निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियामक) अधिनियम, 2005" में निर्दिष्ट प्रावधानों का पालन करना चाहिए।

उपर्युक्त पूर्व-अर्हता मापदंडों के अनुसार अर्ह तथा परिशिष्ट में विहित निबंधनों व शर्तों का अनुपालन करने के लिए सहमत एजेंसियाँ 'तकनीकी आवेदन' सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करें, जिसपर "सिडबी किशनगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था हेतु तकनीकी आवेदन" लिखा गया हो ।

सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए निबंधन व शर्तें

- संविदा प्रदान करने की तारीख से दो वर्ष, जो बैंक के पूर्ण विवेकानुसार मौजूदा निबंधनों व शर्तों पर एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- 2. एजेंसी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, मजदूरी संदाय अधिनियम, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सान) अधिनियम आदि सभी सांविधिक अपेक्षाओं का पालन करने के लिए सहमत है।
- उंसी सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक सुरक्षा गार्ड एक बार में आठ घंटे से अधिक की इय्टी न करे।
- 4. नियुक्त किए जानेवाले गार्डों की संख्या का निर्णय बैंक करेगा, ताकि प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। आराम और छुट्टी की व्यवस्थाएं कंपनी के विवेकानुसार होंगी, जिसके लिए किसी मजदूरी-भुगतान अथवा क्षतिपूर्ति की अदायगी का दायित्व बैंक पर नहीं होगा।
- 5. एजेंसी बैंक के अनुसूची में दिए गए पिरसर की सुरक्षा के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होगी। साथ ही, वह सभी पालियों में आवश्यकतानुसार गार्ड प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगी।
- 6. बैंक की सहमति के बिना एजेंसी गार्डों को एक स्थान/संस्था से हटाकर दूसरे स्थान/संस्था में नहीं लगाएगी।
- 7. जिन गार्डों को सुरक्षा इयूटी पर लगाया गया है, वे इयूटी के समय एजेंसी द्वारा प्रदान की गई उपयुक्त वर्दी पहनेंगे तथा पहचान पत्र धारण करेंगे। वर्दी संबंधी किसी भी व्यय को कंपनी वहन करेगी।
- 8. एजेंसी तथा सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए एजेंसी द्वारा नियुक्त गार्डों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होने पर बैंक उत्तरदायी अथवा जिम्मेदार नहीं होगा, और बैंक तथा एजेंसी अथवा गार्डों के मध्य नियोजक व नियोक्ता का कोई संबंध अस्तित्व में नहीं आएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी केवल एजेंसी की होगी।
- 9. एजेंसी वचन देती है कि उसके द्वारा सहमत हुए कार्यों के निष्पादन में कोई कमी, गलती या त्रुटि के फलस्वरूप होने वाली किसी भी हानि, क्षति, चोरी, दावों, नुकसान, लापरवाही आदि के लिए वह बैंक को क्षति-पूर्ति करेगी।
- 10. एजेंसी अपने सौंपे गए कार्य को संपन्न करने के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होगी, और एजेंसी द्वारा उक्त कार्य करने के लिए निय्क्त किसी व्यक्ति की किसी

- दुर्घटना के कारण होनेवाली मृत्यु अथवा चोट लगने अथवा अन्य किसी जोखिम के लिए यथास्थिति किसी क्षतिपूर्ति, हर्जाने, हानि की भरपाई आदि के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। सुरक्षा का कार्य करने के लिए लगाए गए व्यक्ति/गाई अपने कार्यों तथा एजेंसी की चूक के लिए खुद उत्तरदायी होंगे।
- 11. बैंक के साथ काम करनेवाले अपने कर्मचारियों/ प्रतिनिधियों के कार्यों व चूक के लिए एजेंसी पूरी तरह जिम्मेदार होगी और वह अपने कर्मचारियों के कार्यों के गैर-निष्पादन अथवा दोषपूर्ण निष्पादन अथवा निष्पादन-हीन, चोरी आदि के फलस्वरूप होने वाली किसी भी हानि, क्षिति, चोरी, लापरवाही आदि के लिए वह बैंक को क्षिति-पूर्ति करने का वचन देती है।
- 12. निबंधनों व शर्तों के अनुपालन में एजेंसी/उसके गार्डी द्वारा गैर-निष्पादन अथवा तृटिपूर्ण निष्पादन अथवा निष्पादनहीनता, चोरी आदि के फलस्वरूप यदि बैंक को कोई हानि होती है तो बैंक लिखित में एजेंसी से दावा करेगा और बैंक द्वारा एजेंसी में दर्ज़ किए गए किसी भी दावे का निपटान एजेंसी द्वारा एक माह की अविध में किया जाएगा। यदि एजेंसी द्वारा दावे का निपटान एक माह के भीतर नहीं किया जाता तो बैंक को हुई हानि की वसूली एजेंसी को किए जानेवाले मासिक भुगतान में से कर ली जाएगी।
- 13. बैंक को अधिकार है कि एजेंसी को इस आशय का एक महीने का नोटिस देकर, वह बिना कोई कारण बताए इस व्यवस्था को समाप्त कर दे, और व्यवस्था समाप्त करने का नोटिस लेने से एजेंसी द्वारा इनकार किए जाने अथवा उसका परिहार करने पर उक्त नोटिस बैंक में दर्ज़ एजेंसी के पते पर पंजीकृत डाक से भेज दिया जाएगा। इसके पश्चात् यह माना जाएगा कि नोटिस एजेंसी को भेज दिया गया है। व्यवस्था के समाप्त होने के पश्चात् एजेंसी को सौंपे गए कार्य के निष्पादन के लिए अपने विवेकानुसार किसी अन्य व्यक्ति अथवा फर्म को नियुक्त करने का अधिकार भी बैंक को रहेगा। उपर्युक्त व्यवस्था की समाप्ति के बावजूद, बैंक के निर्देशानुसार सौंपी गई सुरक्षा-व्यवस्था के संबंध में अपने दायित्व से एजेंसी मुक्त नहीं हो जाएगी।
- 14. निबंधनों व शर्तों अथवा बैंक के प्रति एजेंसी के कामकाज की व्याख्या के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विवाचक का निर्णय करने का पूर्ण प्राधिकार केवल बैंक को होगा। इस संबंध में यदि कोई अन्य दस्तावेज़ निष्पादित करने की आवश्यकता हो तो एजेंसी उसके निष्पादन के लिए सहमत है।

- 15. एजेंसी द्वारा नियुक्त गार्ड तब तक उक्त परिसर से कोई सामग्री बाहर ले जाने की अनुमित नहीं देंगे, जब तक बैंक का नामित अधिकारी अपने स्तर पर, अपने हस्ताक्षर करके इसके लिए प्राधिकृत न करे।
- 16. पुनः कहा और सुस्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार प्रदान किए गए गार्डों का प्रबंधन व नियंत्रण एजेंसी के पास रहेगा और उक्त गार्ड समस्त उद्देश्यों हेतु एजेंसी के अनुशासनात्मक प्राधिकार के अधीन रहेंगे।
- 17. एजेंसी (सरकारी एजेंसी से इतर) प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम 2005 में विहित प्रावधानों से अनुबद्ध रहेगी।
- 18. बैंक अपनी आवश्यकतानुसार गार्डी की संख्या बढ़ा अथवा घटा सकता है एवं तदनुसार उसका भुगतान करने का अधिकार रखता है।
- 19. करार के दौरान, केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक दरों के अनुरूप न्यूनतम वेतन में संशोधन होगा. तदनुसार इपीएफ /इएसआई का भुगतान भी संशोधित दर पर किया जायगा.

तकनीकी निविदा का प्ररूप (सुरक्षा व्यवस्था)

प्रेषक	

प्रति

सहायक महाप्रबन्धक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जी 20-21, भूतल, गणपती स्कवेर, एन.एच.-8, मार्बल इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर एक्स्प्रेसवे, मदनगंज किशनगढ़, अजमेर, राजस्थान - 305801

क्रमांक	मद	एजेंसी द्वारा भरे जानेवाले
		विवरण
1	एजेंसी / संपर्क हेतु उपलब्ध व्यक्ति का नाम	
2	एजेंसी के कार्यालय/व्यवसाय का पता	
3	निगमन/स्थापना की तारीख	
4	एजेंसी की पैन/टैन सं.	
5	वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण सं.	
6	क्या फर्मौं/ कंपनियों के पंजीयक के पास पंजीकृत है?	
	पंजीकर की तारीख (पंजीकरण-प्रमाणपत्र की प्रति नत्थी	
	करें)	
7	क्या एजेंसी को प्रतिष्ठित संगठनों जैसे अखिल भारतीय	
	वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिकर क्षेत्र के बैंकों/ उपक्रमों,	
	बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों	
	को सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने का 05 वर्ष का अनुभव	
	है? (कार्य-आदेशों की प्रतियाँ नत्थी करें)	
8	क्या एजेंसी सभी सांविधिक आवश्यकताओं जैसे	
	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, भविष्य निधि, कामगार	
	मुआवजा अधिनियम, करार श्रम(विनियम व समाप्ति)	
	अधिनियम जैसा भी प्रयोज्य को पूरा करती है ?	
	(पंजीकरण प्रमाणपत्र/ लाइसेंस की प्रति नत्थी करें)	

9	क्या श्रम विभाग में पंजीकृत है? पंजीकरण की तारीख	
	(पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति नत्थी करें)	
10	क्या वस्तु एवं सेवा कर विभाग में पंजीकृत है?	
	(पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति नत्थी करें)	
11	क्या एजेंसी आय-कर निर्धारिती है, जिसने पिछले तीन	
	निर्धारण वर्षों यानी 2018-19, 2019-20 तथा 2020-	
	21 की आय-कर विवरणियाँ जमा की हैं (आय-कर	
	विवरणियों की प्रति नत्थी करें)	
12	एजेंसी (सरकारी एजेंसी से इतर) प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी	
	(विनियमन) अधिनियम 2005 में विहित प्रावधानों से	
	अनुबद्ध रहेगी।	

मैं/हम बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट निबंधनों व शर्तों (जो **अनुबंध I के परिशिष्ट** में उल्लिखित हैं) से अनुबद्ध होने के लिए सहमत हूँ/हैं।

मैं/हम ठेका श्रम अधिनियम, 1970, ईपीएफ, ईएसआई की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा इस संबंध में अन्य समस्त सांविधिक अपेक्षाओं का पालन करने का भी वचन देता/देते हूँ/हैं। मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि आवश्यक विनियमों/विधियों का अनुपालन न होने के कारण उत्पन्न किन्हीं कमियों के लिए किसी मामले में सिडबी न तो शामिल होगा, न ही उत्तरदायी होगा।

तारीखः

हस्ताक्षर

फर्म /कंपनी का नाम व सील

तारीखः

हस्ताक्षर

फर्म /कंपनी का नाम व सील

(यह प्ररूप सीलबंद लिफाफे में भेजा जाएगा, जिसपर ''सिडबी, किशनगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था हेतु तकनीकी निविदा" लिखा हो)



Security Arrangement for office premises at Kishangarh: Expression of interest

Sealed quotations are invited from reputed security agencies interested in

1. Providing round the clock unarmed security arrangement at office premises of the Bank at Kishangarh.

The pre-qualification criteria along with terms and conditions are furnished in the **Annexure I and Appendix to Annexure I** respectively. The same are also available in the office of the undersigned during 1100 hrs to 1200 hrs on any working day (except Saturday & Sunday) between **April 15**, **2021 and April 30**, **2021**.

The quotations should be submitted as under:

Technical Bid in sealed cover, containing details of Constitution of the Agency, experience in handling security arrangement, annual sales turnover, Income Tax Assessee, etc., duly supported by documentary proof. The format is enclosed at **Annexure II.**

The application to be submitted should be addressed to "The Astt. General Manager, Small Industries Development Bank of India, G 20-21, Ground Floor, Ganpati Square, NH-8, Marble Industrial Area, Jaipur Expressway, Madanganj Kishangarh, Ajmer, Rajasthan - 305801" and superscribed 'Security Arrangement at SIDBI Kishangarh – expression of interest. The bids should reach at the aforesaid SIDBI address not later than 1700 hrs. on April 30, 2021. The bids which are not submitted in the prescribed manner will not be accepted. The applications would be opened on the May 05, 2021 at 1100 hours and the interested parties can make it convenient to be present at the time of opening the bids. The Bank reserves the right to accept or reject any or all bids without assigning any reasons thereof. Financial bids will be invited from the agencies fulfilling the pre-qualifying criteria.

The Astt. General Manager Small Industries Development Bank of India G 20-21, Ground Floor, Ganpati Square, NH-8, Marble Industrial Area, Jaipur Expressway, Madanganj Kishangarh, Ajmer, Rajasthan - 305801

Annexure I

Pre-qualification Criteria

- 1. The Agency should have minimum 05 years' experience in providing security services to reputed organisations like All India Financial institutions, public sector banks / undertakings, MNCs and large private sector companies. [Attach copy of work orders or letter of empanelment].
- 2. The Agency should be registered with the Labour and Goods and Service Tax Department of State/Central Govt. as applicable. [Attach copy of registrations].
- 3. The Agency should be an Income-tax assessee having filed its Income tax return for the Assessment Years i.e. AY 2018-19, AY 2019-20 and AY 2020-21 [Attach copy of PAN and copies of return filed during Assessment Years i.e. AY 2018-19, AY 2019-20 and AY 2020-21]. In case the Agency is exempted from IT Department, the exemption certificate may be enclosed.
- **4.** The Security Agency should be registered with Employees Provident Fund Organisation.
- 5. The Agency should have its office in Rajasthan.
- 6. The terms and conditions of the contract is given in the Appendix.
- The Agency, other than a Government Agency, should abide by the provisions prescribed in "The Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005."

The agencies qualifying the above pre-qualification criteria and agree to abide by the terms and conditions given in the Appendix may submit the "Technical Bid" in a sealed cover superscribing - "TECHNICAL BID FOR 'Security Arrangement at SIDBI, Kishangarh"

XXXXXX

Terms and conditions for providing security services

- 1. Two years from the date of awarding the contract subject to renewal for another one year thereafter at the sole discretion of the Bank on existing terms and conditions.
- 2. The Agency agrees to abide by all statutory requirement as per Minimum Wages Act, Employee Provident Fund Act, Workmen Compensation Act, Payment of Wages act, Contract Labour (Regulation and Abolition) Act etc.
- 3. The Agency shall ensure that each guard performs his duty for not more than eight hours in one instance.
- 4. The number of guards to be deployed by the Agency shall be decided by the Bank so as to ensure effective security arrangements. The rest & relief arrangements shall be made at the discretion of the Agency, for which the Bank will not be liable to pay any wages or compensation.
- 5. The Agency shall be fully responsible for the security of Bank's Premises as mentioned in the schedule and also be responsible for providing the requisite guards at all the shifts.
- 6. The Agency will not rotate the guards from one place to another and/or one institution to another without the consent of the Bank.
- 7. The guards who are deployed for the security duty shall wear proper uniform and identity card during the duty hours provided by the Agency. Provision of uniform and any related expenses shall be borne by the Agency.
- 8. The Bank shall not be responsible or liable in case of any dispute arising between the Agency and the guards employed by the Agency for carrying the security services and no relationship of Employer and Employee shall come into existence between the Bank and the Agency or guards for which all responsibilities shall vest with the Agency alone.
- 9. The Agency undertakes to indemnify the Bank against any loss, damage, theft, claims, damages, negligence as the Bank may be put to or incur due to direct or indirect result of non-performance or mal-performance or mis-performance in performing the works agreed to by it.
- 10. The Agency shall be solely responsible for carrying out the job entrusted to them and in case of any accident resulting in death or injury or otherwise risk to the person engaged by the Agency for carrying out the said job, the Bank shall not be liable for any compensation, damages, loss etc. as the case may be.The persons / guards engaged for performing the security job shall be responsible for their acts and omissions to the Agency.
- 11. The Agency shall be solely responsible for the acts and omissions of its employees / representatives dealing with the Bank and undertakes to indemnify the Bank against any loss, damage, theft, negligence etc. that may occur due to non-performance or mal-performance or mis-performance, of its employees.
- 12. The Bank shall make a claim, if any, in writing to the Agency in case of any loss caused to the Bank due to non-performance or mal-performance or mis-performance, theft etc. by the Agency/its guards in carrying out the terms and conditions and any claim lodged by the Bank will be settled by the Agency within a period of one month. If the claim is not settled within one month, loss caused to the Bank, shall be recovered from the monthly payment made to the Agency.
- 13. The Bank reserves the right to terminate this arrangement without assigning any reasons thereof, by serving on the Agency a notice of one month to this effect, and on the refusal of the Agency to accept the notice of termination of the arrangement or passive avoidance to do so, the said notice shall be sent by registered post on the address of the Agency recorded with the Bank, where after it shall deemed to have been served on the Agency. Bank shall also be entitled to appoint any other person, firm or Agency at its discretion to perform the job entrusted to the Agency after termination of the arrangement. Provided that the termination of the arrangement, as aforesaid, shall not absolve the Agency of its liability regarding security arrangements already entrusted to it in accordance with the direction of the Bank.

- 14. In case of any dispute arising out of relating to interpretation of terms of conditions or functioning of the Agency vis-a-vis the Bank, the Bank shall be the sole authority to decide the arbitrator. The Agency agrees to execute any other documents, which may be required by the Bank in this regard.
- 15. The Agency guards engaged shall not allow any material to be taken out from the said premises unless authorised by a nominated officer(s) of the Bank under his (their) scale and signature.
- 16. That it is reiterated and made clear that management, control of the guards so provided shall be with the Agency and the said guards for all purposes shall be within the Disciplinary Authority of the Agency.
- 17. The Agency, other than a government Agency, should abide by the provisions prescribed in The Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005.
- 18. The Bank reserves the right to increase / decrease the number of gurards based on it's requirement and the payment will be made accordingly.
- 19. Minimum Wages will be revised during the period of contract in accordance with Central government rates revised from time to time. Accordingly, EPF/ESI will also be paid as per the revised rates.

XXXXXXXXXXXXXXXXX

THE FORMAT FOR TECHNICAL BID (Security Arrangement)

From,	

The Astt. General Manager Small Industries Development Bank of India G 20-21, Ground Floor, Ganpati Square, NH-8, Marble Industrial Area, Jaipur Expressway, Madanganj Kishangarh, Ajmer, Rajasthan - 305801

To,

SI. No.	Particulars	Details to be filled in by the Agency
1	Name of the Agency / Contact Person	
2	Regd. office/Business address of the Agency	
3	Date of Incorporation/Constitution	
4	PAN/TAN Nos. of the Agency	
5	Goods and Service Tax Registration No.	
6	Whether registered with Registrar of Firms/Companies? Date of Registration (Attach copy of registration)	
7	Whether the Agency has 05 years' experience in providing Security Services to reputed organisations like All India Financial institutions, public sector banks / undertakings, MNCs and large private sector companies? (Attach copy of Work Orders)	
8	Whether the Agency meets by all statutory requirement as per Minimum Wages Act, Employee Provident Fund Act, Workmen Compensation Act, Contract Labour (Regulation and Abolition) Act etc. as applicable. (Attach copy of registration certificate / licence)	
9	Whether registered with Labour Department? Date of Registration (Attach copy of registration)	
10	Whether registered with Goods and Service Tax Department ? (Attach copy of registration)	
11	Whether the Agency is an Income Tax Assessee having filed its Income Tax return for the Assessment Years AY 2018-19, AY 2019-20 and AY 2020-21 (Attach copy of Income Tax Returns)	

12	The Agency, other than a government Agency, should abide by the provisions prescribed in "The Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005."	
I / We agree to abide by the terms and conditions stipulated by the Bank and mentioned in the Appendix to Annexure I.		

I / We also undertake to ensure compliance with the requirements of Minimum Wages Act, Contract Labour Act, 1970, EPF, ESI and also abide by all the other statutory requirements necessary in this regard. I / We agree that SIDBI would neither involve itself in any matters nor be responsible for any shortcomings arising out of the noncompliance of the necessary regulations / laws.

Date:

SIGNATURE Name and Seal of the firm / Agency

(This format shall be sent in a sealed cover superscribing - "TECHNICAL BID FOR 'Security Arrangement at SIDBI, Kishangarh")